136
42

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART II SUB SECTION 3 (ii) DATED: 28-7-1987

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR
MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, the 28th July, 1987.

NOTIFICATION

S.O.-746(E) In persuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that the Administrators (whether known as Lieutenant Governor, Chief Commissioner or Administrator) of the Union territories of Delhi, the Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, Pondicherry and Chandigarh, shall, subject to the control of the President and until further orders, exercise the powers and discharge the functions of the State Government under the Juvenile Justice Act, 1986 (53 of 1986) within their respective Union territories.

[No. U-11030/4/87-UTL]

(ASHOK NATH)
JOINT SECRETARY TO THE GOVT. OF INDIA.

The Manager,
Government of India Press,
Mayapuri Industrial Area,
New Delhi.

के
भारत राजपत्र, असाधारण, के भाग-II उप खंड 3(ii)
में दिनांक 28-7-1987 को प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 28 जुलाई, 1987.

अधिसूचना

का0आ0 संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्द्वारा निदेश देते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमण और दीव, पांडिचेरी और चंडीगढ़ के प्रशासक (चाहे वे उप-राज्यपाल, मुख्य आयुक्त या प्रशासक के रूप में जाने जाते हों), राष्ट्रपति के नियंत्रणाधीन के रहते हुए और अगले आदेशों तक, अपने अपने संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 (1986 का 53) के तहत राज्य सरकार की शक्तियों का प्रयोग करेंगे व उसके कार्यों को निभाएंगे।

(सं. यू-11030/4/87-यू.टी.एल)

अशोक नाथ

(अशोक नाथ)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र,
नई दिल्ली।